तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/4922/2003/बाडमेर सरकार बनाम रावत उम्मेदसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.8.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** उपस्थित श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, प्रार्थी जरिये उप राजकीय अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **निर्णय** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-06-03 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि बाडमेर शहर में स्थित है जिसका खसरा नं0 1665/1/1 रकबा 2050 वर्गफीट भूमि सिवाचयक भूमि पर वर्तमान अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर लेने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार, बाडमेर को प्रस्तुत की गयी। तद्परांत तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही आरम्भ करते हुये अप्रार्थी को बेदखली एवं जुर्माना से दण्डित करते हुये निर्णय दिनांक 09.6.2000 पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी ने अपर कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपर कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 01.02.2001 से निरस्त कर दी। अपर कलेक्टर के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.6.2003 से स्वीकार करते हुये धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप कर दी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30.6.2003 से व्यथित होकर प्रार्थी सरकार द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/4922/2003/बाडमेर सरकार बनाम रावत उम्मेदसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में सुनी गयी । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व ग्रम बाडमेर में स्थित ख0न0 1665/1/1 गतबंदोबस्तके समय से राजकीय भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित चली आ रही है। उक्त भूमि पर कदीम से काश्त व कब्जा होने से संबधी कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी विवादित भूमि राजकीय भूमि अंकित है। इसके खण्डन में अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि होने का कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही की गयी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थी द्वारा जो अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी वह धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गयी जो प्रावधानों के विपरीत होने के कारण चलने योग्य ही नहीं थी परन्तु अपीलीय अधिकारी ने विधि विरूद्व तरीके से उसे स्वीकार कर लिया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि धारा 91 की कार्यवाही के पश्चात अप्रार्थी द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुये धारा 91 की कार्यवाही को उचित माना है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के अतं में प्रस्तत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया कि तहसीलदार, बाडमेर ने अनुचित रूप से वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानकर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की थी जबकि भूमि कभी भी सिवायचक या कृषि भूमि नही रही है। वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व से ही आबादी भूमि थी जो अप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की दस्तावेज से साबित होती है। विद्वान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/4922/2003/बाडमेर सरकार बनाम रावत उम्मेदसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि के जमाबंदी में सिवायचक दर्ज होने से कानूनन उसे सिवायचक होना नहीं माना जा सकता जमाबंदी के इन्द्राज स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका प्रस्तुत ही नहीं की गयी थी जिसके निरस्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि नकल Award by the Land Acquisition Officer, Jodhpur नकल आदेश दिनांक 02 जून 1976 जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि आबादी में परिवर्तन बाबत जारी किया गया, नकल पटटा संवत 1963, नकल आर्डरशीट दिनांक 30 जून 1951 आदि दस्तावेजात के आधार पर विवादित आराजी अपीलांट की स्वयं की होना एवं पर अप्रार्थी का वर्ष 1951 से लगातार कब्जा होना उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विवादित आराजी का आबादी भूमि होना साबित करता है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में प्रस्तुत निगरानी को खारिज करते हुये अपीलीय अधिकारी को निर्णय बहाल रखने निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी व पत्रावली व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म व वर्गीकरण के सबंध में राजस्व रिकार्ड से वर्षवार अपेक्षित कोई परीक्षण व विवेचन नहीं किया गया है। किस विधिक आधार पर भूमि की किस्म व वर्गीकरण का परिर्वतन किया गया है। इस बाबत कोई विधिक आदेश और उस आदेश के विधिसंगत होने के सबंध में भी कोई समुचित परीक्षण नहीं किया गया है जो पूर्णतया अपेक्षित है। निगराकार ने इस निगरानी के पैरा संख्या 5 में अंकित किया है कि ''मौजूदा अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार, बाडमेर के धारा 91 के नोटिस के पश्चात माननीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/4922/2003/बाडमेर सरकार बनाम रावत उम्मेदसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राज0उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जो कि माननीय राज0उच्च न्यायालय के द्वारा उनकी रिट याचिका को निरस्त कर दिया व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही को उचित माना है। इसलिए अब राजस्व अपील जी द्वारा अपने निर्णय में धारा 91 की कार्यवाही को विधिसम्मत नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है।''

इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति के सबंध में भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा कोई समुचित परीक्षण नहीं किया गया है और ना ही किसी विधिक निष्कर्ष पर पहुँचा गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में संबधित नगरपालिका द्वारा भी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 बाबत पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः उसे प्रकरण में साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

परिणामतः प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का समुचित परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत शीघ्र विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य